उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H06452/C-6/Gen-789/ O.A. No.432/2023/2024 Dated 2-1-2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: Regarding submission of Response on behalf of Respondent no- 4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 13.10.2023 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 432 of 2023 In the matter of Radhey Shyam Sehra Versus State of Uttar Pradesh & Others.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 13.10.2023 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 432 of 2023 In the matter of Radhey Shyam Sehra Versus State of Uttar Pradesh & Others., The Response on behalf of Respondent no- 4, Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Copy to: Shri Arvind Kumar, Advocate, N.G.T., New Delhi for information and further necessary action..

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Response on behalf of Respondent no- 4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 13.10.2023 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 432 of 2023 In the matter of Radhey Shyam Sehra Versus State of Uttar Pradesh & Others.

The Hon'ble N.G.T., Principal Bench, New Delhi vide its order dated 13.10.2023 in Original Application No. 432 of 2023 in the matter of Radhey Shyam Sehra Versus State of Uttar Pradesh & Others has passed the order. The relevant excerpt of the aforesaid order is as below:-

"..... 5. In the facts and circumstance of the case we also consider it appropriate to seek response from (1) the State of U.P. through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) the Chairman, Gorakhpur Industrial Development Authority, (3)the District Magistrate, Gorakhpur, (4) the UPPCB, through its Member Secretary (5) M/s Gallant Sariya Udyog (M/s Gallant Ispat Ltd.), (6) M/s Ambey Kapada Udyog (M/s Ambey Processer) (7) M/s Rungta Agencies (M/s Rungta Industries Pvt. Ltd.) and (8) M/s India Glycols Ltd who are impleaded as respondents no. 1 to 8. 6.

The Registry is directed to prepare and attach memo of parties with the application and to issue

Scanned with OKEN Scanner

notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within three months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

Response

1. That in compliance to the order dated 01.08.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 432/2023 a Joint Committee Report along with action taken has been submitted by the UPPCB on 10.10.2023 vide letter no. H01742/C-6/Gen-789/OA No.432 /2023/2023 before the Hon'ble Tribunal, New Delhi.
2. That earlier in pursuance to the Joint Committee Report dated 09.10.2023, a show cause notice dated 06.10.2023 has been issued by UPPCB against the Industry M/s Rungta Industries Pvt Ltd, BL-1, Sector-15, GIDA, Gorakhpur for closure, revocation of consent to operate and imposition of Environmental Compensation of Rs. 10000/- per day in accordance with the Guideline prepared by CPCB. The copy of

Scanned with OKEN Scanner

the letter dated 06.10.2023 is being annexed herewith as **Annexure No.-1** to this response.

3. That further in pursuant to above show cause notice dated 06.10.2023, Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 30.01.2024 has conditionally disposed the show cause notice by imposing environmental compensation of Rs. 60,000/- against the Industry M/s Rungta Industries Pvt Ltd, BL-1, Sector-15, GIDA, Gorakhpur for a default period of 06 days. The copy of the letter dated 29.01.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-2** to this response.

The above response of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Sectretary

Scanned with OKEN Scanner

Annexure No-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H0/610/वृत्त–6/ओ0ए0स0–432/23/जल–101/का0ब0नो0/गोरख0/2023 दिनांक 6/10/23
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0,
बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा,
जनपद–गोरखपुर।

यह कि उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0, बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा, जनपद–गोरखपुर जिसमें कच्चे माल के रूप में राईस ब्रान, ऑयल केक एवं हेक्सेन का प्रयोग करके राईस ब्रान आयल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 432/2023 राधे श्याम सेहरा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनॉक 01–08–2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

....." 4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Gorakhpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned Project Proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the concerned Project Proponents. The Committee may also refer to order of this Tribunal dated 13.09.2022 in O.A. NO. 116/2014 (Meera Shukla vs Municipal Corporation Gorakhpur & Ors.) inter alia directing for industrial pollution control, establishment of CETP and rejuvenation of River Ami, River Tapti and other rivers. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."........

यह कि मा0 एन0जी0टी0 दिल्ली द्वारा उपोक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0, बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा, जनपद–गोरखपुर का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया तथा श्री शिव कुमार पाण्डेय, प्रबन्धक उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा ई0टी0पी0 के आउटलेट एवं उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह के एकत्रित नमूनों में बी.ओ.डी. प्रचालक की मात्रा क्रमशः 38.0 मि0ग्रा0/ली0 एवं 36.0 मि0ग्रा0/ली0 पाई गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है।

यह कि उद्योग को राईस ब्रान आयल के उत्पादन हेतु राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 28.12.2022 के माध्यम से सशर्त संचालानार्थ सहमति (जल एवं वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2024 तक है। उद्योग द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

.......2/–

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in; - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनॉक 25.09.2023 के माध्यम से उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0, बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा, जनपद–गोरखपुर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.अतएव जन–स्वास्थय एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातारण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए जन स्वास्थ्य के हित में राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1974 (यथासंशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरूद्ध निम्नरूपेण कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैः–

यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0, बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा, जनपद–गोरखपुर को राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत निर्गत संचालनार्थ सहमति आदेश पत्र दिनॉक 28.12.2022 को रिवोक/निरस्त कर दिया जाये।

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0, बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा, जनपद–गोरखपुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0, बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा, जनपद–गोरखपुर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एव जलापूर्ति तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुसार उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज़ प्रा0 लि0, बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा, जनपद–गोरखपुर के विरूद्ध दिनांक 23.08.2023 से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक रू0 10,000 (रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये

उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्देशों का उत्तर न प्रेषित करनें अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1974 (यथासंशोधित) की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग स्वामी एवं उद्योग का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में 15 दिन के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर निरीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

Scanned with OKEN Scanner

Annexure No-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1062 /सी–6/सहमति जल–101/निक्षेप/गोरखपुर/2024 Dated 30-1-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0,
बी0एल0–1, सेक्टर–15, गीडा,
जनपद–गोरखपुर।
मो0नं0-0551-2580361

विषयः–उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.10.2023 को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच.01610/वृत्त–6/ओ0ए0सं0–*432/2023*/जल–101/का0ब0नो0/गोरखपुर/2023 दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूशण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त कारण बताओ नोटिस एवं उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 08.11.2023 को किया गया तथा निरीक्षण के समय दिनांक 08.11.2023 को उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट से एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के जल नमूनों में प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की दिनांक 19.01.2024 की आख्यानुसार उद्योग में कच्चा माल (राइस ब्रान) न मिलने के कारण के कारण दिनांक 26.08.2023 से इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है तथा दिनांक 06.11.2023 से पुनः उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार उद्योग में दिनांक 23.08.2023 से 26.08.2023 तक उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या 04 एवं दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 07.11.2023 तक उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या 02 है। इस प्रकार कुल उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या 06 आंकलित की गयी हैं।

उद्योग को बोर्ड द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.10.2023 में उल्लिखित है कि उद्योग के विरूद्ध दिनांक 23.08.2023 से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक रू0 10000/– (रू0 दसः हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी। इस प्रकार उद्योग के उल्लंघनकारी दिवस कुल 06 दिवसो के सापेक्ष कुल रू0 60000/– (रू साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित होती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से उद्योग के उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष कुल रू0 60000/– (रू साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.10.2023 को सशर्त निक्षेप किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720691 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

अतः उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन, क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरूद्ध रू0 60000/– (रू साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.10.2023 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के अधीन निक्षेप किया जाता है:–

1. उद्योग के विरूद्ध 06 उल्लंघनकारी दिवस हेतु रू0 60000/– (रू साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC** कोड **UBIN 0570150** में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की अधिकतम मात्रा रिसाइक्लि किया जायें।
3. उद्योग को निर्गत सहमति जल/वायु में जारी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 का समुचित एवं अनवरत संचालन सुनिश्चित किया जाये तथा उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप ही निस्तारित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

Scanned with OKEN Scanner